

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2616
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

पंजाब को शिक्षा संबंधी केन्द्रीय सहायता

†2616. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल, मध्याह्न भोजन/पीएम पोषण, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) और अन्य संबंधित कार्यक्रमों जैसी प्रमुख शिक्षा संबंधी योजनाओं के तहत पंजाब को जारी की गई केंद्रीय सहायता का योजनावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का पंजाब की सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता और सीमावर्ती स्थान सहित विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए राज्य को केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब में केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और निधियों के इष्टतम उपयोग को प्रभावित करने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में निगरानी को मजबूत करने, समय पर निधि जारी किए जाने को सुनिश्चित करने, सीखने के परिणामों में सुधार करने और क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): विगत तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान पंजाब को प्रमुख शिक्षा योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा, पीएम श्री स्कूल, पीएम पोषण, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

योजना	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
समग्र शिक्षा	605.04	331.11	678.13	586.20
पीएम श्री	स्कूलों का चयन वर्ष 2023-24 और 2024-25 में किया गया।		94.26	174.49^
पीएम पोषण	187.13	199.89	184.18	149.03
उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम	1.93	0.00	1.43	1.04^
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)#	निधि प्रस्ताव प्राप्त न होना		3.34	8.70

* दिनांक 05.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार

इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) कर दिया गया है।

^ पंजाब राज्य ने पीएफएमएस के एसएनए-स्पर्श मॉडल को अपनाया है। एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत, मूल संस्वीकृति जारी की जाती है, तथापि निधियाँ 'जस्ट इन टाइम' जारी की जाती हैं, और पीएफएमएस पोर्टल पर बिल जमा करने के आधार पर प्रतिदिन संस्वीकृति जारी करके वेंडर तथा लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान प्राप्त होता है।

समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पहलों के अतिरिक्त, नए/स्तरोन्नयन किए गए स्कूलों को खोलने में भी मदद की जाती है जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स (ईबीबी), एलडब्ल्यूई, विशेष ध्यान दिये जाने वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्र और नीति आयोग इत्यादि द्वारा चिन्हित किए गए 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है।

केंद्र सरकार, पंजाब सहित संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता (एसईडीजी और जनांकिकी स्थितियों सहित) के आधार पर तैयार वार्षिक योजना के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है एवं यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। संबंधित योजना के मानकों और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निधि शेयरिंग पैटर्न के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श कर के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा बाद में इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है।

समग्र शिक्षा योजना में पहलों नामतः प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0, यूडाइज़+, परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग प्रणाली (प्रबंध), बीआरसी/सीआरसी का सुदृढीकरण, परख, लेखा परीक्षा तंत्र, सामाजिक लेखा परीक्षा, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई), समुदाय स्तरीय निगरानी, हितधारकों और ओओएमएफ के साथ आवधिक बैठकें के इष्टतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी विद्यार्थियों को उनके निवास के स्थान के बावजूद एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से उपांत, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर केन्द्रित हो, को प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पहलों को कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है ताकि ऐसे समूह के सभी विद्यार्थियों को, अंतर्निहित मुश्किलों के बावजूद, शिक्षा प्रणाली में प्रवेश और उत्कृष्ट निष्पादन करने के लिए विभिन्न लक्षित अवसरों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। समग्र शिक्षा, पीएम श्री, उल्लास इत्यादि जैसी योजनाएँ पूरी तरह से एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और पंजाब सहित पूरे देश में इन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

केंद्र सरकार परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठकों, समीक्षा बैठकों, आंचलिक परिषद बैठकों और नीति आयोग शासी परिषद बैठकों सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग योजनाओं को कार्यान्वित करने की समीक्षा और मूल्यांकन करती है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से बल देकर/सलाह देती है कि वे विशेषकर एसईडीजी समुदाय और सीमावर्ती स्कूलों को समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अलग-अलग पहलों को पूरा करें/प्राथमिकता दें।
